समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

India’s Got Latent विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को माफी मांगने का आदेश दिया, केंद्र को गाइडलाइंस बनाने के निर्देश

Publisher

Published on 25 Aug 2025

भारतीय कॉमेडी और डिजिटल कंटेंट की दुनिया में हाल ही में उठे विवाद ने न सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा है, बल्कि अब यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुँच चुका है। **“India’s Got Latent”** नामक शो को लेकर कॉमेडियन **समय रैना** और यूट्यूबर-इन्फ्लुएंसर **रणवीर अल्लाहबादिया** विवादों में घिर गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए दोनों को **सार्वजनिक माफी मांगने** का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह डिजिटल कंटेंट और कॉमेडी शोज़ से जुड़े मामलों पर स्पष्ट **गाइडलाइंस तैयार करे**।

“India’s Got Latent” एक डिजिटल शो है, जिसमें हास्य और व्यंग्य को मुख्य आधार बनाया गया। हालांकि, इसके कुछ एपिसोड्स पर आरोप लगा कि इसमें **अशोभनीय, आपत्तिजनक और असंवेदनशील सामग्री** प्रस्तुत की गई।

- कुछ धार्मिक प्रतीकों और सामाजिक मुद्दों का मजाक उड़ाने के आरोप लगे।
- सोशल मीडिया पर कई संगठनों और दर्शकों ने इसे “**सीमा लांघने वाला हास्य**” बताया।
- इसके चलते मामला अदालत तक पहुँचा, जहाँ यह बहस उठी कि **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी** के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में किसी भी सार्वजनिक मंच से आने वाली सामग्री को बेहद **संवेदनशीलता और जिम्मेदारी** के साथ पेश किया जाना चाहिए।

- कोर्ट ने कहा कि हास्य और व्यंग्य **लोकतंत्र की आत्मा** हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी कलाकार या क्रिएटर सामाजिक और धार्मिक भावनाओं की अनदेखी करे।
- बेंच ने माना कि इस मामले में समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया ने **लापरवाही दिखाई** और उन्हें दर्शकों से माफी मांगनी चाहिए।

समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया पर टिप्पणी

दोनों कलाकारों को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि

- उन्हें **सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी होगी**।
- भविष्य में ऐसे कंटेंट से बचना होगा, जो सामाजिक तनाव पैदा करे।
- उनकी मंशा भले ही हंसी-मज़ाक की रही हो, लेकिन उसका असर नकारात्मक हुआ।

यह कदम उन तमाम डिजिटल क्रिएटर्स के लिए भी संकेत है, जो अपने कंटेंट में व्यंग्य या आलोचना का सहारा लेते हैं।

केंद्र सरकार को गाइडलाइंस बनाने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के जरिए एक बड़ा और व्यापक सवाल उठाया — डिजिटल स्पेस पर बढ़ते **अनियंत्रित कंटेंट** को कैसे संतुलित किया जाए?

कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि:

1. **स्पष्ट गाइडलाइंस** तैयार की जाएँ कि कौन-सा कंटेंट "व्यंग्य" के दायरे में आता है और कौन-सा "आपत्तिजनक" माना जाएगा।
2. गाइडलाइंस में यह भी तय किया जाए कि किस स्थिति में कंटेंट क्रिएटर्स को **जवाबदेह ठहराया जाएगा**।
3. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने शो और वीडियो प्रसारित करने से पहले **कंटेंट रिव्यू सिस्टम** लागू करना होगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम जिम्मेदारी

यह मामला फिर से उस बहस को ज़िंदा करता है, जिसमें कहा जाता है कि **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ **सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी** भी जुड़ी होती है।

- अगर हास्य समाज को जोड़ने का काम करता है तो व्यंग्य **सकारात्मक शक्ति** है।
- लेकिन यदि यही हास्य **विभाजन और आक्रोश** पैदा करता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।

डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री पर असर

इस आदेश के बाद यह साफ है कि भारत में डिजिटल क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस को अब और **सावधानी** बरतनी होगी।

- ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स भी ज्यादा सतर्क हो जाएंगे।
- कॉन्टेंट मॉडरेशन और **एडवांस रिव्यू सिस्टम** लागू हो सकते हैं।
- भविष्य में हर डिजिटल शो को यह ध्यान रखना होगा कि वह **मनोरंजन और सामाजिक संवेदनशीलता** के बीच संतुलन बनाए।

दर्शकों और समाज की प्रतिक्रिया

इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

- एक पक्ष का कहना है कि अदालत का यह फैसला **सही दिशा मे उंठाया गया कदम** है।
- वहीं, कुछ लोग इसे **क्रिएटिव फ्रीडम पर अंकुश** मान रहे हैं।

लेकिन बहुमत यह मानता है कि सार्वजनिक मंच से दिया जाने वाला कोई भी संदेश **समाज को चोट न पहुँचाए** और अगर पहुँचाता है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

“India’s Got Latent” विवाद सिर्फ एक शो का मामला नहीं है, बल्कि यह **डिजिटल कंटेटं की नई दुनिया** में जवाबदेही तय करने का एक अहम उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में अन्य मामलों के लिए **नज़ीर** बनेगा।

समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को माफी मांगनी होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार अब गाइडलाइंस बनाएगी, जिससे भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सकेगा।

यह फैसला एक संदेश देता है कि **हास्य और व्यंग्य का स्वागत है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ।**

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.